MR. CHAIRMAN : They will do if after investigation. He has said it.

SHRI RAJ MOHAN GANDHI : The hon. Minister for Railway has said that there is a policy of transferring officers after four years stay at one place. Will he be kind enough to inform the House whether a representation has been received from the Federation of Railway Officers regarding their serious dissatisfaction with the promotional policy in the Railways ? If so, what action is the Government taking ?

SHRI GEORGE FERNANDES : It does not arise out of this·

श्री राज मोहन गान्धी : ट्रांसफर और प्रमोशन के बारे में पूछा है। उन्होंने ट्रांसफर की बात की थी . . . **(व्यवधान)**

श्री सभापति : उन्होंने करप्शन को रोकने के लिए ट्रांसफर की बात की थी। यह तो करप्शन का सवाल है।

कृषि वैज्ञानिकों का विदेश में प्रशिक्षण

***345. श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विशेष प्रशिक्षण के लिये कितने वैज्ञानिक को विदेश भेजा था;

(ख) क्या अनेक कृषि वैज्ञानिकों ने इस संबंध में चयन समिति के बारे में अपना असंतोष व्यक्त किया है और सरकार को हाल में कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) श्रीमान, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विशेष प्रशिक्षण के लिए 834 वैज्ञानिकों को विदेश भेजा था।

(ख) सरकार को चयन प्रक्रिया के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति जी, सभी इस बात को जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि के मामले में और अनुसंधान के क्षेत्र में देश व्यापी प्रभावी संस्थान है और इसके लिए मंत्री महोदय ने स्वयं बयान दिया है और विवरण भी प्रस्तुत किया है, उसमें बताया है कि तीन वर्षों में 834 कृषि वैज्ञानिक बाहर के देशों में भेजे गये; ये लगभग तीन सौ कृषि वैज्ञानिक प्रति वर्ष होते हैं। प्रतिदिन एक कृषि वैज्ञानिक विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो तीन वर्ष में 834 कृषि वैज्ञानिक बाहर भेजे गये उनमें से कितने ऐसे थे जो विदेशों के द्वारा हमारे देश से भेजे गये और जो निमंत्रण आते हैं उस पर कितने भेजे गये और ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खर्चे पर बाहर भेजे गये ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने ऐसे कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रशिक्षण के बावजूद रिजाइन कर दिया और दूसरे काम में चले गये ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितीश कुमार) : सभापति महोदय, जो 834 वैज्ञानिक बाहर गये उनमें वे कई प्रकार से गये जिसमें बाहर से बुलावा भी शामिल है। इसका विस्तृत ब्यौरा कम से कम आठ पृष्ठों का है जो मैं आप चाहें तो पढ़ देता हूं। परन्तु मैं एक फीगर बता देता हूं कि पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या फैलोशिप

या एसोसिएटशिप आदि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विदेशों में जो वैज्ञानिक भेजे गये वे 1987 में 97 थे और 1988 में 60 थे और 1989 में 43 थे और ये कुल 200 भेजे गये। बाकी गई प्रकार से गये, बुलावे पर भी गये। उनका विस्तृत ब्यौरा मेरे पास है। अगर सब चाहेंगे, मैं दे दूंगा।

श्री सभापति : कितने नौकरी छोड़कर चले गये, यह भी वे जानना चाहते हैं।

श्री नितिश कुमार : सभापति जी, जो बाहर भेजे जाते हैं उनके लिए क्राइटेरिया बना हुआ है, उनको बोर्ड भर कर देना होता है। उनको कम से कम चार साल तक जिस क्षेत्र में उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है उस क्षेत्र में पब्लिकेशनी होती है।

श्री शंकर दयाल सिंह : दूसरा अनुपरक प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये कृषि वैज्ञानिक जो 831 तीन वर्षों में बहार भेजे गये उनके संबंध में क्या सरकार ने कोई नियम इस तरह का बनाया है कि कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि के क्षेत्र में या पशुपालन के क्षेत्र में पूरे देश में जो लोग काम करते हैं उनमें से बहुत से या अधिक से अधिक लोगों को बाहर जाने का मौका मिल सके अथवा क्या इस तरह की शिकायतें सरकार को मिली हैं कि एक ही वैज्ञानिक साल भर में दो-तीन बार बाहर जाते हैं और बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको जीवन भर अवसर नहीं मिला है? इसलिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि बड़े वैज्ञानिक तो साल भर में दो-तीन बार बहार चले जाते हैं, चाहे प्रशिक्षण के नाम से जा रहे हों या सैर सपाटे के लिए जाते रहे हों, इसलिए इस बात को बताइये कि एक वर्ष में या दो वर्षों में या तीन वर्षों में क्या इस प्रकार का कोई केस आपके सामने आया है कि एक ही व्यक्ति को बाहर भेजा गया और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी बाहर जाने का मौका नहीं मिला ?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, वैज्ञानिकों को बाहर भेजने की एक प्रक्रिया बनी हुई है और उसका पालन किया जाता है। यह देखा जाता है कि पिछले पांच वर्षों के अंदर क्या वे इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विदेश गये हैं या नहीं। उस काम के सिलसिले में अगर वे विदेश गये हों तो उनको नहीं भेजा जाता है। इसकी यह प्रक्रिया है कि जब भी किसी फील्ड के साइंटिस्ट को बाहर से बुलाया जाता है, उन्होंने पूछा है कि क्या वे आई.सी.ए.आर. के खर्च पर जाते हैं तो आई.सी.ए.आर. के खर्चे पर कोई नहीं गया है। यह दूसरे प्रकार से ही अरेंज होता है। बाहर जो लोग जाते हैं आई.सी.ए.आर. उनको अपने खर्च पर नहीं भेजता है। 200 की फिगर्स जो आपने दी कि थ्रू आई.सी.ए.आर गए। तो ये आई० सी० ए० आर० के खर्च पर नहीं गये। किसी को इस प्रकार नहीं भेजा जाता है। इसके लिये एक चयन प्रक्रिया बनी हुई है। जिस तरह के लोगों की मांग बाहर से होती है उसके लिये कंसर्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कंसर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से नाम मांगे जाते हैं। इसके लिये एक चयन समिति बनी हुई है और चयन समिति नाम भेजती है और आई.सी.ए.आर. उस पर विचार करता है। अगर आई.सी.ए.आर. के थ्रू जाना है तो आई.सी.ए.आर. भेजता है और अगर मिनिस्ट्री के थ्रू जाना है तो मिनिस्ट्री नाम भेजती है। कभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू वे जाते हैं। तो इसके लिये नाम वहां से भेजे जाते हैं और उसके माध्यम से वे जाते हैं। इसलिये इस तरह की कोई शिकायत पिछले वर्षों से प्राप्त नहीं हुई है।

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। शिकायत इसलिये है कि आप पिछले दस सालों का रिकार्ड उठाकर देख लें। आई.सी.ए.आर. में जितने कृषि वैज्ञानिकों ने आत्महत्यायें की हैं, इतनी आत्महत्यायें कहीं नहीं हुई हैं। इसलिये मैंने जानबूझकर कहा। अगर असंतोष

नहीं रहता तो कृषि वैज्ञानिक आत्महत्या नहीं करते। कम से कम 20 कृषि वैज्ञानिकों ने पिछले दस सालों में आत्महत्या की है।

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, हाल के कुछ वर्षों में आत्महत्या की रिपोर्ट नहीं है। अगर माननीय सदस्य किसी स्पेसिफिक केस के बारे में कहें तो सरकार उसकी जांच-पड़ताल कर लेगी। जो चयन प्रक्रिया है, जिसके बारे में मूल प्रश्न पूछा गया है, और शिकायतों के बारे में जो बार बार पूछा जा रहा है, इसके संबंध मे मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में कोई शिकायत नही मिली है। अगर माननीय सदस्य को जानकारी हो या कोई शिकायत हो तो वे उपलब्ध करायें, सरकार उसकी जांच करेगी और उस पर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं माननीय मंत्री के जवाब से संतुष्ट हूं।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : मैं मुअज्जिज मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूंगा कि आप साइंटिस्टों को जो बाहर भेजते हैं उनके सलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? इसके लिये आपने क्या क्राइटेरिया रखा है जिसके तहत आप लोगों का सलेक्शन करते हैं और साइंटिस्टों को बाहर भेजा जाता है?

†[شری محمد خلیل الرحمان :

میں معزز منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاہونگا کہ آپ سائنٹسٹوں کو جو باہر بھیجتے ہیں انکے سلیکشن کا کوائی تیریا کیا ہے - اسکے لئے آپ نے کیا کرائی تیریا رکھا ہے - جسکے تحت آپ لوگوں کا سلیکشن کرتے ہیں - اور سائنٹسٹوں کو باہر بھیجا جاتا ہے -]

श्री नितिश कुमार : मैंने पहले ही बताया कि इसके लिये प्रक्रिया बनी हुई है। जिस फील्ड से मांग होती है उससे कंसर्ड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट या स्टेट अग्रीकल्चर यूनिवसिटी होती है, वहां से नाम मांगे जाते हैं। वहां स्टेट अग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कंसर्ड रिसर्च इंस्टीटयूट या कंसर्ड फेकल्टी में चयन समिति बनती है। उस चयन समिति में एक्सपर्ट होते हैं और वे नाम भेजते हैं और फिर इसके माध्यम से उनके नाम भेजे जाते हैं। चाहे आई.सी.ए.आर. हो, चाहे अग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो इनके नाम भेजे जाते हैं और वहां प्रोसेस होकर उन्हें बाहर भेजा जाता है।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : माननीय सभापति जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हजारों हजार वैज्ञानिक कार्यरत हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पूरे देश में जो वैज्ञानिक कार्यरत हैं, उनमें कितने ऐसे हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं? दूसरा यह है कि जो 834 वैज्ञानिक पिछले तीन सालों में विदेश ट्रेनिंग के लिये भेजे गये हैं उनमें से कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। उनको पहला प्रश्न है कि कितने साइंटिस्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं और दूसरा है कि जो साइंटिस्ट विदेश भेजे गये हैं उनमें कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। ये दोनों सूचनायें मैं सदन को बाद में दे दूंगा। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि सलेक्शन के लिये जिस क्राइटेरिया का निर्माण किया गया है उसमें कहा गया है कि प्रायरिटी शैड्युल्डकास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों और औरतों को दी जायेगी।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : क्या उनको भेजा गया है या नहीं?

†Transliteration in Arabic Script.

श्री नितिश कुमार : यह सूचना मैं सदन को उपलब्ध करा दूंगा। आपको भी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री छोटू भाई पटेल : साइंटिस्टों को परदेश भेजने के लिये सरकार ने जो क्राइटेरिया बनाया है, नई सरकार उस क्राइटेरिया को बदलना चाहती है या नहीं चाहती है?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, जहां तक क्राइटेरिया को रिव्यू करने की बात है, क्राइटेरिया बिलकुल सही है, वाजिब है और दुरुस्त है। इसलिए रिव्यू करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। माननीय सदस्य यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अभी इससे पहले जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, आई०सी०ए०आर० के संबंध में फिगर मिल गया है, जिसके अनुसार आई०सी०ए०आर० में जो अभी वर्किंग साइंटिस्ट है उनमें 234 शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और 27 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं।

SHRI SUNIL BASU RAY : Will the hon. Minister state which were the countries where our scientists were sent for training and what were the fields in which they were trained and what benefits accrued to our country from their training?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है उनका चार साल सेवा में रहना है क्योंकि उनकी सेवाओं का प्रशिक्षण का लाभ उठाना है। जो उनके सवाल का पहला खण्ड है उसका जवाब मेरे पास है और यह 8 पृष्ठों में है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसको पढ़ दूं कि कब-कब, किस-किस देश में कौन कौन भेजे गये, उसकी पूरी सूची मैं पढ़ दूं (**व्यवधान**)

SHRI SUNIL BASU RAY : Which were they countries the went to ? You give only names of the countries, not the detalis about each and every scientist and how many countries they have visited.

श्री सभापति : आप टेबल पर रख दें।

श्री नितिश कुमार : कई मुल्क हैं और इन मुल्कों में कई इंस्टीट्यूशन्स हैं जहां यह लोग जाते हैं। पूरी की पूरी सूचना सदन का समय बचाने के लिए मैं सभा पटल पर रख दूंगा।

SHRI VIREN J. SHAH : Sir, the hon. Member, Shri Shankar Dayal Singh mentioned about the suicides committed by the scientists. Among the first ones was my cousin, Vinod Shah, a brilliant ICAR scientist. It was not for going abroad. Justice Gajendragadkar Commission was appointed to go into it and find out the causes and how they could be removed. The training and other things at the ICAR are such that no justice is done. Will the Minister tell the House whether any action has been taken on that Commission's recommendations to remove those difficulties so that we get benefit out of it ?

SHRI N.K.P. SALVE : Sir, how did he manage to produce such a brilliant son ?

SHRI VIREN J. SHAH : It was not my son who committed suicide. It was my cousin who committed suicide.

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, एक स्पेसिफिक केस का हवाला दिया है, गजेन्द्रगडकर कमीशन का हवाला दिया, उसके संबंध में उसकी अनुशंसाओं पर क्या कार्यवाही हुई इसके संबंध में मैं सदन को बाद में अवगत करा दूंगा। जहां तक चयन की प्रक्रिया का संबंध है, वह मैं पूर्व प्रश्नों के उत्तर में बता चुका हूं।